

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

स्वीकृति पत्र

पत्राक-

दिनांक-

किसान का नाम ----- पिता/ पति का नाम -----

ग्राम -----

प्रखण्ड -----

जिला -----

आपके द्वारा समर्पित ट्यूबवेल/ पम्पसेट सम्बन्धी आवेदन पत्र जॉचोपरान्त सही पाया गया है एवं अनुदान पर ट्यूबवेल गाड़ने/ पम्पसेट खरीदने की स्वीकृति दी जाती है।

- 1 अनुदान की राशि ट्यूबवेल हेतु अधिकतम 15000/ मध्यम गहराई के नलकूपों के लिये अधिकतम 35,000 तथा पम्पसेट हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10000 होगी।
- 2 ट्यूबवेल उस गहराई में लगायी जाये, जहाँ सालों भर पानी उपलब्ध रहे। यानि गर्मी के मौसम में भी इस बोरिंग से पटवन हो सके।
- 3 किसी भी परिस्थिति में 50 फीट से कम गहराई पर की गयी बोरिंग पर अनुदान देय नहीं होगा। बोरिंग का व्यास 4 ईंच (100 मिलीमीटर) होना अनिवार्य है।
- 4 स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर ट्यूबवेल गाड़ने का कार्य प्रारम्भ करने की सूचना सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार को देंगे। ट्यूबवेल गाड़ने का कार्य प्रारम्भ करने के समय एवं बोरिंग कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार के साथ बोरिंग स्थल की स्पष्ट फोटोग्राफी होनी चाहिये। अनुदान भुगतान का दावा करने समय सामग्री आदि के अभिश्रवों के अतिरिक्त बोरिंग कार्य आरम्भ होने के समय एवं बोरिंग कार्य पूर्ण हान के बाद की गई फोटोग्राफी से प्राप्त छायाचित्र आपको संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 5 ट्यूबवेल में प्रयुक्त हाने वाले सभी सामग्रियों की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के अनुरूप होनी चाहिये। इसके लिये किसान अपनी पसन्द के एजेंसी का चयन कर सामान कय करेंगे एवं बोरिंग करवायेगे।
- 6 अनुदान का भुगतान आपको बैंक पेयी चेक अथवा सीधे बैंक खाता में अंतरण के माध्यम से किया जायेगा।
- 7 ट्यूबवेल हेतु अनुदान दावे का स्थलीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान किया दो किस्तों में किया जायेगा। प्रथम किस्त पाईप धसाने के बाद तथा दूसरा किस्त मोटर पम्प लगाने के बाद किया जायगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का

हस्ताक्षर

एवं मुहर